

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा / 36 / 2019
तारीख रजु 12.04.2019

उनवान

- 1.विशन बाई बेवा सुआ लाल जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।
- 2.वीरेन्द्र
- 3.भूरसिंह
- 4.मनोज
- 5.अतरसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डोन जिला करौली।

पिरारान सुआलाल जाति जाटव निवासी
जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----सायलान

बनाम

- 1.कमल पुत्र नथुआ, वगैरह जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डोन जिला करौली

-----गैरसायलान (17)

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :- श्री मोहन अवरथी एडवाकेट।
गैरसायलान की ओर से :- श्री रामदयाल गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 29.11.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र मय मूल दावा ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 1074, 1151/1, 1158, 1173, 1257, 1269/2, 1271, 979, के अन्तरण नहीं करने बाबत पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वकील सायलान द्वारा दिनांक 29.11.2019 को निवेदन किया कि गैरसायलान के साथ राजीनामा होने से प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 36/2019 बिशनबाई वगै. बनाम कमल वगै. नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29.11.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

